प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,

~~गुल्लाहुदा प्राइमरी स्कूल-फतेहपुर~~
नगर क्षेत्र-फतेहपुर

पत्रांक/ 302-C-3 /2003-2004 दिनांक 14-4-03

विषय:- ग्रामीण क्षेत्र/नगर क्षेत्र के अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को नवीन अस्थायी मान्यता ।

x-----------x

महोदय,

जिला मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय की नवीन मान्यता प्रथम अस्थायी मान्यता कक्षा-1 से 5 तक का आदेश निर्गत की तिथि से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ अग्रिम आदेशों तक के लिए प्रदान की जाती है। यह अस्थायी मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी या उसकी अवधि मे संशोधन किया जा सकेगा। मान्यता अभिलेखों में कोई तथ्य गलत पाये जाने या किसी भी विभागीय निर्देशों की चूक होने या निम्नांकित प्रतिबन्धों की अवहेलना होने पर भी विद्यालय की नवीनमान्यता समाप्त करने या रोकने का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा :-

प्रतिबन्ध:-

1- विद्यालय के पास छात्रसंख्या के अनुसार निजी पक्का भवन जो लिंटर्ड/स्लेप/एस्वेस्ट का भी मान्य है, होना चाहिए।
2- विद्यालय के पास उपर्युक्त प्रार्थना स्थल होना चाहिए। क्रीडा स्थल होने पर वरीयता मिलेगी।
3- निर्धारित सुरक्षित जमा हो तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बंधकहो।
4- अध्यापक सभी प्रशिक्षित रखे जायें।
5- विद्यालय में निर्धारित शुल्क लिया जाय तथा रसीदें दी जायेंगी।
6- विद्यालय में निर्धारित तथा मान्य अनुभाग चलाये जायें।
7- जिस स्थल तथा क्षेत्र में विद्यालय को मान्यता दी गयी है, उसके बदलने पर मान्यता स्वत: ही समाप्त हो जायेगी।
8- विद्यालय को किसी अंश विद्यालय से सम्बद्ध न किया जायें, क्योंकि व्यापकअस्तित्व हैं।
9- अध्यापकों एवं कर्मचारियों की भर्ती में विभागीय नियमों तथा आरक्षण आदेशों का पालन किया जायेगा।
10-अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वही वेतनमान तथा मंहगाई तथा अन्य भत्ते मिलेंगे जो परिषदीय अध्यापकों एवं कर्मचारियों को मिलता है।
11-विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग व अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकेगा तथा विभागीय निर्देश व नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
12-विद्यालय के समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों का समुचित ढंग से भुगतान कराया जायेगा।
13-विद्यालय सोसाइटी की अवधि नवीनीकरण कराया जाता रहें।
14-विद्यालय में खेलकूद, पुस्तकालय, विज्ञान सामग्री, पेयजल की व्यवस्था पूर्ण रखी जायेगी।
15-विद्यालय में प्राभूतकोष की भी व्यवस्था की जाय।
16-विद्यालय परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकें ही मान्य होगी।
17-विद्यालय में शिक्षा माध्यम देवनागरी लिपि हिन्दीमेंहोगी।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।

पृ०सं०/ 302-C-3 /2003-2004 तद्दिनांक 14/4/03

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर।
2- समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी----------।
3- समाज कल्याण अधिकारी, फतेहपुर।

16/04/03

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फतेहपुर।